

आज्ञा विस्तृत रूप से

इसी वकील उभयपक्ष 3501  
की ने अपपत्र 022R4,9 का  
की किया प्रतिवादी को जवाब पत्र  
अपत्र प्रान किने जा चुके हैं।  
आप भी अपपत्र 022R4,9 का  
की किया प्रतिवादी जवाब पत्र  
की काले कएष अपपत्र 022R4,9  
की 3/24 को फे हो

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

पेश हुई। पीओ साहब  
कार्य में व्यस्त है। शत.  
पूर्वानुसार दिनांक 12/4/24  
की।

पेश हुई। पीओ साहब  
कार्य में व्यस्त है। शत.  
पूर्वानुसार दिनांक 15/5/24  
की।

पेश इसी वकील उभयपक्ष 3501  
अपपत्र 022R4,9 का  
की 15/5/24 को फे हो

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

पेश इसी वकील उभयपक्ष 3501  
अपपत्र 022R4,9 का  
की 6/6/24 को फे हो  
उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय

### फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी सांगानेर जयपुर

रामेश्वरी बर्नाम जोरु व अन्य

ना संख्या / वर्ष : अपपत्र 212R001145 / 2010  
33 / 2020

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
6/6/24	<p>जवाब पत्र इसी वकील प्राची व अप्राची 3501 अपपत्र 022R4,9 का व अपपत्र 022R9,9 का पर वकील उभयपक्षों की कएष सुनी गयी। प्राची का अपपत्र 022R4,9 का व अपपत्र 022R9,9 का स्वीकार किये जाते हैं। वकील उभयपक्षों की अपपत्र 212R001145 का कएष सुनी गयी। पञ्चवणी व राजलू रिफाई व अपपत्र 212R11, जवाब प्राची पत्र का आधीपक्ष अवणोफन कलि व वकील उभयपक्षों की कएष का मनन कलि पर एम 38 निष्कर्ष पर फटे चें हैं कि मूल्दावा पञ्चवणी का निर्णय होने तक अप्राची 1 व 2, 5। ला 5/4 को स्थायी निषेधाज्ञा से पकड किया जाय है कि को प्राची पत्र के पेश सं। में कति आरंभिक पर मोक व रिफाई की यथास्थिति बनाये रने निर्णय सुनाया गया। पञ्चवणी मम्बा से कठ होका बाद वकील दाविल दफता हो सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

